पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 251/2020

1. भलेराम पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा। :– वादी

व ना म

1. बुधराम पुत्र कुरडा जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
3. भरतसिंह पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
4. चरतसिंह पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
5. श्रवण कुमार पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
6. तुलसी पुत्री बुधराम पत्नी सत्यपाल जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा हाल रोहतक रोड सुभाष नगर जींद हरियाणा।
7. चन्दन कुमार पुत्र स्व0 दर्शना पुत्री बुधराम जाति छिम्पा आयु 14 वर्ष निवासी सोनपालसर त0 सरदारशहर जिला चुरु नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता विद्याधर पुत्र भारूराम जाति छिम्पा निवासी सोनपालसर त0 सरदारशहर जिला चुरू।
8. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनम चंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही डाबडी के खाता सं0 213/192 के खसरा सं0 356 की 4.008है0, खसरा सं0 363 की 1.517है0, खसरा सं0 383 की 2.099है0 कुल 7.624है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 का 6/8हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया स0 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 का 6/8हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.1.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 251/2020

अनवान :

1. भलेराम पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।

:— वादी

ब नाम

1. बुधराम पुत्र कुरडा जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
3. भरतसिंह पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
4. चरतसिंह पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
5. श्रवण कुमार पुत्र बुधराम जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा।
6. तुलसी पुत्री बुधराम पत्नी सत्यपाल जाति छिम्पा निवासी डाबडी त0 भादरा हाल रोहतक रोड सुभाष नगर जींद हरियाणा।
7. चन्दन कुमार पुत्र स्व0 दर्शना पुत्री बुधराम जाति छिम्पा आयु 14 वर्ष निवासी सोनपालसर त0 सरदारशहर जिला चुरू नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता विद्याधर पुत्र भारूराम जाति छिम्पा निवासी सोनपालसर त0 सरदारशहर जिला चुरू।
8. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।

:— प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचंद वर्मा : वादी 18.12.2020
वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही डाबडी के खाता सं0 213/192 के खसरा सं0 356 की 4.008है0, खसरा सं0 363 की 1.517है0, खसरा सं0 383 की 2.099है0 कुल 7.624है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 बुधराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा कुरडा की खातेदारी हुआ करती थी। कुरडा के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बुधराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:09 IST
Reason: SelfAttested

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण सं0 8 को वकीलवादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 भलेराम पुत्र बुधराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही डाबडी संवत 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 7 जेएसएल के खाता सं0 106/101 संवत 2074–77 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग संवत 2029–38 खसरा सं0 321–400 प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी संवत 2029–38 प्रदर्श 3 व 4, जमाबंदी खतौनी संवत 2004 प्रदर्श 5, खसरा गिरदावरी संवत 2009–12 प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र बुधराम ग्राम पंचायत डाबडी प्रदर्श 7, मृत्यू प्रमाण दर्शना प्रदर्श 8 व चित्रप्रति 8ए, मृत्यु प्रमाण पत्र कलावती असल प्रदर्श 9 व चित्रप्रति 9ए, वारिस प्रमाण पत्र दर्शना प्रदर्श 10, शपथ पत्र बुधराम प्रदर्श 11 व 12 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नामं दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 में बुधराम के वारिसान में 5 पुत्र राजेन्द्र कुमार, भलेराम, भरतसिंह, चरतसिंह व श्रवण कुमार व 2 पुत्री तुलसी व दर्शना (दर्शना फौत हो चुकी है जिसका वारिस चन्दन कुमार है।) व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 का 6/8हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है। चुंकि प्रतिवादीया सं 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 का 6/8हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:09 IST
Reason: SelfAttested

कियात्मक आदेश

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही डाबडी के खाता सं0 213/192 के खसरा सं0 356 की 4.008है0, खसरा सं0 363 की 1.517है0, खसरा सं0 383 की 2.099है0 कुल 7.624है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 का 6/8हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के

Scanned with CamScanner

अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया सं0 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 5 का 6/8हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner